भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 425

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

वैश्विक क्षुधा सूचकांक

425. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वैश्विक क्षुधा सूचकांक, 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है, जहां भूख को गंभीर बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में रखे गए और क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इथेनॉल के उत्पादन के लिए सड़े हुए खाद्यान्नों का उपयोग करने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार 'कल्याणकारी संस्थान और एससी/एसटी/ओबीसी छात्रावास योजना' श्रेणी के तहत केरल को खाद्यान्न का आवंटन फिर से शुरू करने का है, जिसे वर्ष 2018 से रोक दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2024 को कंसर्न वर्ल्डवाइड, वेल्ट हंगर हिलफे और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ़ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (आईएफएचवी) द्वारा जारी किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 'भूख' का एक दोषपूर्ण माप है और यह भारत की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाता है। इसके चार घटक संकेतकों में से तीन (नामतः बौनापन, अवरूद्ध विकास और बाल मृत्यु दर), जिनका उपयोग सूचकांक की गणना के लिए किया जाता है बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और जनसंख्या में भूख को दर्शाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

...2/-

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार, 127 देशों में से भारत 105वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में,125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर था। वर्ष 2023 की तुलना में भारत की रैंक में वर्ष 2024 में सुधार हुआ है, जो मुख्य रूप से इंडेक्स के चौथे घटक संकेतक, अर्थात् अल्पपोषण की व्यापकता (पीओयू) में सुधार के कारण है।

(ख) सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस मुद्दे का समाधाना करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रयासों को पुनर्जीवित किया गया है और इसे 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव तथा स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली पद्धतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसारी (कन्वर्जन्ट) पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, गेहूं और धान/चावल की राज्यवार खरीद का विवरण **अनुबंध-I और II** में दिया गया है।

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) पूरे वर्ष लंबी अवधि के लिए खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा का भंडारण/संरक्षण करता है और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक और रणनीतिक रिजर्व बनाए रखता है। कुछ खाद्यान्न खराब हो जाते हैं और उनकी इस प्रकृति के कारण मुख्यत: चक्रवात/बाढ़/वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऐसे स्टॉक की नगण्य मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है। विगत 03 वर्षों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के जमा होने का का वर्षवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) देश में इथेनॉल के उत्पादन और पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडेड (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत विभिन्न फीडस्टॉक्स से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इसकी आपूर्ति की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018, वर्ष 2022 में यथासंशोधित के अनुसार गन्ने के रस, चुकंदर (शुगर बीट), स्वीट सोरघम जैसी चीनीयुक्त सामग्री, मक्का, कसावा जैसी स्टार्चयुक्त सामग्री, गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू (मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त) जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी गई है।

...3/-

एफसीआई में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के रूप में नगण्य मात्रा जमा होती है। ऐसे स्टॉक का उसकी श्रेणी के आधार पर फीडस्टॉक अथवा औद्योगिक स्टार्च के प्रयोजनार्थ के रूप में निपटान किया जाता है। अभी तक इथेनॉल उत्पादन के लिए किसी भी क्षतिग्रस्त स्टॉक का निपटान नहीं किया गया है।

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 30.09.2024 तक की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने खुले स्रोतों से क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से 101.86 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की है।

(ड.) और (च) वित्त वर्ष 2018-19, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा केरल सरकार को 'कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना (डब्ल्यूआईएंडएचएस)' के तहत राज्य सरकार से प्राप्त उनकी आवश्यकता के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है। अप्रैल, 2024 से सितंबर, 2024 तक की अवधि के लिए केरल सरकार को हाल ही में डब्ल्यूआईएंडएचएस के तहत खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

गेहूं की खरीद का वर्षवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आर एम एस 2022-23 (लाख टन में)	आर एम एस 2023-24 (लाख टन में)	आर एम एस 2024-25 (लाख टन में)
1	पंजाब	96.45	121.12	124.57
2	हरियाणा	41.86	63.17	71.50
3	उत्तर प्रदेश	3.36	2.20	9.31
4	मध्य प्रदेश	46.04	70.97	48.39
5	बिहार	0.04	0.01	0.10
6	राजस्थान	0.10	4.38	12.06
7	उत्तराखंड	0.02	0.00	0.02
8	चंडीगढ़	0.03	0.10	0.08
9	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.03	0.03
कुल		**187.92**	**261.97**	**266.05**

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

धान/चावल की खरीद का वर्षवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2021-22		केएमएस 2022-23		केएमएस 2023-24	
	धान की खरीद (लाख टन में)	चावल की खरीद के सन्दर्भ में (लाख टन में)	धान की खरीद (लाख टन में)	चावल की खरीद के सन्दर्भ में (लाख टन में)	धान की खरीद (लाख टन में)	चावल की खरीद के सन्दर्भ में (लाख टन में)
आंध्र प्रदेश	66.58	44.61	41.13	27.55	30.43	20.38
तेलंगाना	110.35	73.94	93.86	62.89	95.32	63.86
असम	5.66	3.79	5.98	4.01	3.94	2.64
बिहार	44.90	30.09	42.05	28.17	30.79	20.63
चंडीगढ़	0.27	0.18	0.19	0.13	0.25	0.17
छत्तीसगढ	92.01	61.65	87.53	58.65	123.88	83.00
गुजरात	1.22	0.82	1.77	1.18	0.85	0.57
हरियाणा	55.32	37.06	59.36	39.77	58.94	39.49
हिमाचल प्रदेश	0.28	0.19	0.14	0.09	0.23	0.15
झारखंड	7.53	5.12	1.73	1.17	0.74	0.50
जम्मू एवं कश्मीर	0.41	0.27	0.34	0.22	0.24	0.16
कर्नाटक	2.19	1.47	0.21	0.14	0.00	0.00
केरल	7.48	5.09	7.31	4.97	5.59	3.80
मध्य प्रदेश	45.83	30.70	46.30	31.02	42.16	28.25
महाराष्ट्र	18.32	12.27	18.48	12.38	11.64	7.80
ओडिशा	71.04	48.31	79.16	53.83	70.84	48.17
पंजाब	187.28	125.48	182.11	122.01	185.28	124.14
एनईएफ (त्रिपुरा)	0.58	0.39	0.45	0.30	0.32	0.21
तमिलनाडु	27.58	18.76	33.84	23.01	34.96	23.77
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	44.22	29.63	43.91	29.42	37.03	24.81
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21.31	14.28	21.59	14.47	16.77	11.24
कुल उत्तर प्रदेश	65.53	43.91	65.50	43.89	53.80	36.05
उत्तराखंड	11.55	7.74	8.96	6.00	7.30	4.89
पश्चिम बंगाल	35.31	24.01	32.09	21.82	24.69	16.79
राजस्थान	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारतीय कुल	**857.30**	**575.88**	**808.45**	**543.20**	**782.20**	**525.44**

*****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 27.11.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-23 और 2023-24 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का वर्ष-वार उपार्जन।

वर्ष	जिंस	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की कुल उपार्जित मात्रा (लाख टन में)	उठान मात्रा (डीसीपी राज्यों के अतिरिक्त) (लाख टन में)	उठान मात्रा की तुलना में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का %
2021-22	गेहूं	0.006	445.948	0.001
	चावल	0.011	320.133	0.003
	कुल	**0.017**	**766.081**	**0.002**
2022-23	गेहूं	0.004	260.334	0.001
	चावल	0.012	415.492	0.003
	कुल	**0.016**	**675.826**	**0.002**
2023-24	गेहूं	0.0564	246.784	0.023
	चावल	0.0470	223.935	0.021
	कुल	**0.1035**	**470.719**	**0.022**

*****